अवमाननावाद सुनवाई दिनांक-05-09-2016

संख्या-156/2016/आर-3618/26-3-2016-69(रिट)/2016

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 31 अगस्त 2016

विषयः- अवमानना याचिका संख्या-360(सी)/2016 जलज गौतम बनाम यशराज टौगिंया व अन्य में पारित मा0उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-12.07.2016/19.08.2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्रांक-1910/सक/शिक्षा/2015-16, दिनांक-11.08.2016 एवं निदेशालय पत्राक-1230-31/स.क./विधि प्रकोष्ठ/2016-17, दि0-22.08.2016 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त मूल रिट याचिका संख्या-8223(एम.बी.)/2014 जलज गौतम बनाम प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उ0प्र0शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक-12.01.2016 एवं कनेक्ट याचिका संख्या-6850(एम.बी.)/2014 तपन कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-12.01.2016 तथा रिट याचिका संख्या-3903(एम.बी.)/2014 अनुपम वर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन याची छात्र श्री जलज गौतम को सी0पी0एल0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु समायोजन के उपरान्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रूपया-27.555 लाख (रूपया सत्ताईस लाख पांच हजार पांच सौ पचास मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746 दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0 संख्या-156 2016/आर-3618(1)/26-3-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

4 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।